बोर्ड बनते हैं उन बोर्डस का यह ताल्लुक रहता है कि वह वर्कर्स के वेलफेयर के सम्बन्ध में विशेष तौर से ध्यान रखें। अब ये जितने भी बोर्ड बने हैं बोर्ड का कर्त्तव्य मजदूरों के हित का ध्यान रखने का भी है और बोर्ड का यह काम भी है कि वहां का प्रबन्ध भी ठीक प्रकार से चले। अभी आप ने थोड़े दिन पहले देखा होगा कलकत्ता के डाकयार्ड के सम्बन्ध में एक बहुत गंभीर प्रश्न हमारे सामने आया था। इस प्रकार के डाकयार्ड इस देश में हैं जहां पर जो सामान लादा जाता है उसमें से कितना पिलफ्रेज होता है, कितना सामान हटता है, कौनसी कौनसी व्यवस्थायें चलती हैं- इस सम्बन्ध में अबतक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। खास तौर से कलकत्ता डाकयार्ड के सम्बन्ध में इस प्रकार की बात है कि रेल के वैगन भी चले जाते हैं तो वैगन की एक-एक कील निकाल ली जाती है, सामान का तो सवाल ही क्या है। जब इस प्रकार की स्थिति डाक यार्ड्स में हो तो निश्चित तरीके से उस डाकयार्ड का कोई विशेष लाभ सरकार को नहीं होगा। आप कलकत्ते के सम्बन्ध में पिछले कई वर्षों का हिसाब लगाकर देखें कि साल में कितना लदान हुआ, उसमें कितना अन्तर आया, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कौन से लोग हैं जो लदान में सामान का पिलफ्रेज करते हैं, सामान को निकाल ले जाते हैं वहां पर गई हुई गाड़ी की गाड़ी गायब हो जाती है जब इस प्रकार की स्थिति कलकत्ता डाकयार्ड की हो तो मैं मंत्री जी से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे कि डाकयार्ड के द्वारा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है, जो सामान आता जाता है ठीक प्रकार से लोगों के पास पहुंच सके। आज व्यापारी भाई यह सोचते हैं कि अगर कलकत्ता डाकयार्ड में सामान जायेगा तो निश्चित रूप से वह पहुंच नहीं पायेगा। इस प्रकार से डाकयार्ड की तरक्की में जो अवरोध आ रहा है उसको दूर करने की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि हर व्यक्ति और संस्था को यह विश्वास हो सके कि वहां से जो सामान का लदान होगा या जो भी सामान उतारा जाएगा वह अवश्य मिल जायेगा। इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से की जानी चाहिए।

दूसरे जैसा कि अभी वर्कर्स के सम्बन्ध में आंकड़े देकर बताया गया कि 1 लाख 7 हजार 625 वर्कर्स डाकयार्ड में काम करते हैं तो उनमें कितने लोग परमानेन्ट हैं, कितने लोग कैजूअल हैं और कितने लोगों को लेबर्स से सम्बन्धित वेलफिट स्कीम्स के अन्तर्गत सुविधाएं मिलती हैं? प्राविडेन्ट फंड, ई एम आई स्कीम, ग्रैच्यूटी तथा अन्य प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं वह वर्कर्स को एवेलेबल हैं या नहीं? आपका जो पहले का एक्ट है या अब जो आप अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं बताया गई है कि मजदूरों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जिससे कि उनकी आर्थिक हालत सुधर सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें वह उनको दिलाने की व्यवस्था है या नहीं?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Vyas. it is now 3 O'clock. We are going to start Private Members' Bills. You can continue next time. Shri Bapusaheb Parulekar.

---

15 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL* (*Amendment of Article* 356)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: I introduce the Bill.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II Section 2, dated 8-8-80.